न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना

(आर.ए.एस.)

– 102/2016

उनवान

झनकू पत्नि देबी लाल बैरवा निवासी निम्बाहेडाखुर्द, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

————————(प्रार्थी)

बनाम

1. नन्दा पिता नारू बैरवा निवासी निम्बाहेडाखुर्द, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. भोज खां पिता उम्मेद खां कायमखानी, निवासी निम्बाहेडाखुर्द, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. नानु पिता गंगाराम बैरवा, निवासी निम्बाहेडाखुर्द, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. लादू पिता गंगाराम रेगर, निवासी मुशी, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : **दिनांक – 27.12.2016**

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम झातल पटवार मण्डल बल्दरखा भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 117 के आ0न0 483 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम झातल पटवार मण्डल बल्दरखा भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा** जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि **खाता संख्या 117 के आ0न0 483 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 600/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)